International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 03(I), July - September, 2024, pp. 163-168

भारत में 1975 का आंतरिक आपातकालः प्रभाव और परिणाम

डॉ. रमेशी मीना*

सार

25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि का भारत में आपातकाल घोषित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। देश के हालात आंतरीक व बाहरी रूप से खराब होते जा रहे थे, पड़ोसी देशो से सबध खराब थे वही देश मे 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सितम्बर 1970 में राजभत्ते (प्रिवी पर्स) को समाप्तकरना, इस कारण राज परिवार, RSS व जनसंघ बदलावो के खिलाफ हो गए, प्रिवी पर्स का कुछ भाग राज परिवारो से RSS को भी मिलता था वहि उन दिनो देश मे पड़े अकाल, 1971 का भारत – पाकिस्तान युद्ध, 1974 मे चीन से युद्ध जिसमे भारत को हार का सामना, देश आर्थिक हालातो से जूझ रहा था, विपक्षीदल, जनसंघ, कांग्रेस विरोधीयो का बड़ा हिस्सा सड़कों पर था। वही RSS ने दूरी बना रखी थी । स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंधित लगा दिया गया। आपातकाल की अवधि लोकतांत्रिक संस्थाओं की संभावित कमजोरी की एक कठोर याद दिलाती है। यह इस तरह के सत्तावादी उपायों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए शासन में सतर्कता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है।

शब्दकोशः *आपातकाल, राष्ट्रीयकरण, राजभत्ते, अलोकतांत्रिक, नागरिक अधिकार, प्रतिबंध।*

प्रस्तावना

भारत में आपातकाल की स्थिति शासन की एक अवधि है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा संकट की स्थिति में घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति, मंत्री परिषद की सिफारिश से संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को रद्द कर सकते हैं, जो भारत के लोगों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपाय शामिल है। ये कानून केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में कुशलता पूर्वक प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं। इन्हें शामिल करने का उद्देश्य देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, और एकता के साथ–साथ संविधान और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना है। इस लेख में, हमने भारत में आंतरिक आपातकाल और उसके प्रभाव व परिणाम के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है।

भारतीय संविधान में आपातकाल

भारत में आपातकाल से तात्पर्य ऐसी स्थिति से हैं जिसमें देश का सामान्य कामकाज बाधित हो जाता है और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने या किसी संकट से निपटने के लिए असाधारण शक्तियों का प्रयोग करती हैं। भारतीय संविधान में तीन प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान हैरू

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट हो कि देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण (बाहरी आपातकाल) या सशस्त्र विद्रोह

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, एम.एस.जे. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान।

(आंतरिक आपातकाल) से खतरे में है। 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। घोषणापत्र कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर को निलंबित करने के लिये व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे सरकार को संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये आवश्यक उपाय करने की अनुमति मिलती है।

- **अवधि और संसदीय अनुमोदनः** आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिय तथापि, यदि आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है, जब लोकसभा को बिना अनुमोदन के भंग कर दिया गया हो, तो उक्त घोषणा, लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने उसे अनुमोदित कर दिया हो। यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है, तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और हर छह महीने में संसद की स्वीकृति से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिये।
- **उद्घोषणा का निरसनः** आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद में एक घोषणा द्वारा रद्द कर सकते हैं। ऐसी घोषणा के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल को जारी रखने के लिये अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित कर दे तो आपातकाल को हटाना ही होगा।
- **आपातकाल की प्रयोज्यताः** राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके केवल एक हिस्से पर लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक विशिष्ट भाग तक सीमित करने का अधिकार दिया।
- **आपातकाल की न्यायिक समीक्षाः** 38वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया। 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम,1978 ने 38वें संशोधन के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया, जिससे न्यायपालिका की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने की क्षमता बहाल हो गई। मिनर्वा मिल्स केस, 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर या यदि घोषणा बाहरी या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

राष्ट्रपति शासन लागू करने के कई उदाहरण–महाराष्ट्र (2019) में विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक अनिश्चितता के कारण इसे अल्प अवधि के लिये लगाया गया था, लेकिन एक सप्ताह के भीतर ही नई सरकार का गठन हो गया। उत्तराखंड (2020) में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से जुड़े राजनीतिक संकट के कारण इसे भी इसी तरह की छोटी अवधि के लिये लगाया गया था उत्तर प्रदेश (1991–1992) में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद की राजनीतिक अस्थिरता के बाद लगाया गया। पंजाब (1987–1992) में उग्रवाद और आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया।

- **न्यायिक समीक्षा का दायराः** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संबंध में एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 और रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, 2006 जैसे विभिन्न मामलों में दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994रू में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसने स्थापित किया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिये तथा अप्रासंगिकता बाहरी आधारों पर आधारित उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है। राज्य विधानसभा को संसद द्वारा घोषणा को मंजूरी दिये जाने के बाद ही भंग किया जाना चाहिये तब तक राष्ट्रपति केवल विधानसभा को निलंबित कर सकते हैं। इसने इस बात पर

जोर दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त शक्ति असाधारण है और इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ही किया जाना चाहिये।

- **356 के संबंध में सिफारिशः** पुंछी आयोग ने अनुच्छेद 355 और 356 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को स्थानीय बनाने की सिफारिश की, जिसके तहत पूरे राज्य के बजाय केवल एक जिले या जिले के कुछ हिस्सों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत लाया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे आपातकालीन प्रावधान 3 महीने से अधिक समय तक नहीं चलने चाहिये। सरकारिया आयोग ने सिफारिश दी है कि अनुच्छेद 356 राज्य की संवैधानिक मशीनरी के विघटन को रोकने या सुधारने के लिये अंतिम उपाय है। इसका प्रयोग केवल राजनीतिक संकट, आंतरिक विद्रोह, भौतिक टूट–फूट तथा केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में ही किया जा सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट एक श्भाषण दस्तावेजश होनी चाहिये तथा इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये। राज्यपाल को विधानसभा को भंग किये बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सिफारिश करनी चाहिये।

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है। वित्तीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सिविल सेवाओं में कार्यरत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती का निर्देश दे सकता है। केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तथा उनके कुशल प्रबंधन के लिये निर्देश देने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये। यदि अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो उद्घोषणा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हालाँकि, ऐसी किसी भी उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अन्य दो प्रकार की आपात स्थितियों के विपरीत, भारत में वर्तमान तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है।

भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के कारण

25 जून, 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे विवादास्पद और विवादित अध्यायों में से एक है। 21 मार्च, 1977 तक 21 महीने तक चलने वाली इस अवधि में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सत्ता का अभूतपूर्व केंद्रीकरण देखा गया। इसके कारण मौलिक अधिकारों का निलंबन, प्रेस सेंसरशिप और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण है जिसने न केवल भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की लचीलापन की परीक्षा ली, बल्कि इसने नागरिकों की सामूहिक स्मृति पर अमिट निशान भी छोड़े।

1975 में आपातकाल की घोषणा के कई कारण हैं जो इस प्रकार हैं

1975 में इंदिरा गांधी को एक अनिश्चित राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़ा। कई चुनौतियों के कारण सत्ता पर उनकी पकड़ ढीली पढ़ रही थी। 1971 की चुनावी जीत ने उन्हें महत्वपूर्ण जनादेश दिया था। हालाँकि, बढ़ती महँगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे आर्थिक मुद्दों ने जनता का समर्थन खत्म कर दिया था। कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह का सामना कर रही थी, पार्टी के भीतर और बाहर विरोध बढ़ रहा था।

राजनीतिक अस्थिरता में योगदान देने वाले कारक

चुनावी कदाचार और भ्रष्टाचार के व्यापक आरोपों ने सरकार में जनता का भरोसा कमजोर कर दिया। इसने एक अस्थिर राजनीतिक माहौल बनाया। इसके अतिरिक्त, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी सहित आर्थिक चुनौतियों ने जनता के असंतोष को बढ़ावा दिया और नागरिक अशांति को बढ़ाया, जिससे राजनीतिक माहौल और भी अस्थिर हो गया।

- **सत्ता का केंद्रीकरणः** वर्षों से इंदिरा गांधी ने सत्ता को केंद्रीकृत कर दिया था, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं कमजोर हो गईं।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान का अभावः** सरकार द्वारा लोकतांत्रिक मानदंडों को बार–बार दरकिनार करने और विपक्ष को दरकिनार करने से अशांति बढ़ रही है।भ्रष्टाचारः सरकार के भीतर व्यापक भ्रष्टाचार ने जनता में असंतोष को बढ़ावा दिया तथा राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास को खत्म कर दिया।
- **संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करनाः** न्यायपालिका, प्रेस और विधायी निकायों जैसी प्रमुख संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया। न्यायिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप लगाने के प्रयास तेजी से स्पष्ट हो रहे थे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की महत्वपूर्ण भूमिका

आपातकाल के लिए तत्काल ट्रिगर 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय था। इसने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया और लोकसभा के लिए उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इस निर्णय ने उनके प्रधान मंत्री पद के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया। पद से हटाए जाने की संभावना का सामना करते हुए, गांधी ने राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा की सिफारिश करने का विकल्प चुना। 25 जून, 1975 को, उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित करने की सलाह दी। इसने उन्हें राजनीतिक और नागरिक चुनौतियों को दरकिनार करने के लिए व्यापक अधिकार दिए।

1975 के आंतरिक आपातकाल के प्रभाव

1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने से नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा, कई राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया और प्रेस सेंसरशिप लागू की गई।

राजनीतिक प्रभाव

- **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का निलंबनः** संसद को प्रभावी रूप से दरकिनार कर दिया गया, कई मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और चुनावों को स्थगित कर दिया गया। विभिन्न विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं सहित राजनीतिक विरोधियों को निवारक निरोध कानूनों के तहत बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया।
- **सत्ता का केंद्रीकरणः** सत्ता का केंद्रीकरण प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत हद तक हो गया था। मंत्रिमंडल, जो आम तौर पर सामूहिक निर्णय लेने वाला निकाय होता है, हाशिए पर चला गया, जिससे सार्थक संवाद और निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न हुई।
- **न्यायपालिका को कमजोर करनाः** न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक समझौता किया गया। यह विशेष रूप से असहयोगी न्यायाधीशों के स्थानांतरण और आज्ञाकारी न्यायाधीशों की पदोन्नति के मामले में सच था। इससे कार्यकारी कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण काफी कमजोर हो गया।

आर्थिक प्रभाव

- **राष्ट्रीयकरण और आर्थिक नियंत्रणः** उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के साथ आर्थिक केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस तरह के नियंत्रणों से अकुशलता बढ़ती और आर्थिक विकास धीमा हो गया।
- **श्रम अधिकारों का दमनः** हड़तालों और औद्योगिक कार्रवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्रमिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे श्रमिक वर्ग के अधिकारों में कटौती हुई और श्रमिक आंदोलनों में बाधा उत्पन्न हुई।

सामाजिक प्रभाव

- **नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघनः** मौलिक अधिकार, विशेष रूप से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निलंबित कर दिए गए। प्रेस सेंसरशिप कठोर थी, और किसी भी तरह की असहमति के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे।
- **जबरन नसबंदी अभियानः** जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में जबरन नसबंदी यअभिान चलाए गए। इसमें खास तौर पर गरीब नागरिकों को निशाना बनाया गया, जिससे मानवाधिकारों का व्यापक हनन हुआ।
- **उदासीनता और मोहभंगः** सत्तावादी उपायों के कारण जनता का राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग हो गया। इससे सरकार के प्रति गहरा अविश्वास पैदा हुआ।

दीर्घकालिक प्रभाव

- **चुनावी हार और पुनरुत्थानः** आपातकाल की अवधि ने कांग्रेस पार्टी की छवि को काफी हद तक धूमिल कर दिया। इसके कारण 1977 के चुनावों में करारी हार हुई और जनता पार्टी का उदय हुआ। हालाँकि, 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी ने भारत में राजनीतिक गतिशीलता की जटिलताओं को दर्शाया।
- **संविधान संशोधनः** 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पेश किया गया था। इसने आतंरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया और आपातकाल की घोषणा के लिए सख्त आवश्यकताओं को अनिवार्य कर दिया। इसमें संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन और नियमित समीक्षा शामिल थी।

1975 के आपातकाल से मुख्य सबक

1975 में आपातकाल लागू होने से भारत को कई महत्वपूर्ण सबक मिले, जिन्होंने इसकी लोकतांत्रिक यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया हैः

- **संवैधानिक सुरक्षा उपायः** 44वां संशोधन अधिनियम (1978) आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकता है, इसके लिए मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है तथा आपातकालीन घोषणा के लिए 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' को आधार बनाया जाता है।
- **न्यायिक स्वतंत्रताः** एडीएम जबलपुर मामले ने न्यायिक स्वायत्तता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। न्यायपालिका अब मौलिक अधिकारों की सक्रिय रूप से रक्षा करती है, जो केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों में परिलक्षित होता है, जिसने एडीएम जबलपुर के फैसले को खारिज कर दिया।
- **स्वतंत्र प्रेस और नागरिक समाजः** अधिनायकवाद के विरुद्ध निगरानीकर्ता के रूप में स्वतंत्र प्रेस और सक्रिय नागरिक समाज के महत्व की पुनः पुष्टि की गई है, जिससे अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- **राजनीतिक सतर्कताः** राजनीतिक सुधारों और मतदाताओं के बीच बढ़ती जागरूकता ने सतर्कता की संस्कृति को विकसित किया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्ता का पुनः आसानी से केंद्रीकरण न हो सके।
- **राजनीतिक दलों के रुख में बदलावः** आपातकाल के परिणामस्वरूप पूर्व में पृथक रहे विपक्षी दल एकजुट हुए। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष कितना महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों ने लोकतंत्रात्मक प्रक्रियाओं का महत्त्व समझा और भविष्य में इसी प्रकार की रणनीति का प्रयोग करने के प्रति सतर्क हो गए।
- **अधिकारों के प्रति मुखरताः** मीडिया पर कठोर नियंत्रण द्वारा असहमति को दबा दिया गया और साथ ही सूचना तक पहुँच सीमित कर दी गई, जिसके कारण जमीनी स्तर पर आंदोलन तथा भूमिगत प्रेस

का उदय हुआ, जो सरकार के कथन को चुनौती दे रहे थे और साथ ही मानवाधिकारों की वकालत भी कर रहे थे, जैसे – गुजरात में नवनिर्माण आंदोलनरू लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले युवाओं के नेतृत्व वाला आंदोलन था।

- **बिहार में जयप्रकाश नारायण द्वारा आंदोलनः** सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों की वकालत हेतु एक आंदोलन।
- **जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़तालः** सरकारी नीतियों के विरुद्ध श्रमिक एकजुटता तथा असंतोष का एक शक्तिशाली प्रदर्शन।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किये गए हैं जिनमें आपातकाल पर नियंत्रण और इसे संतुलित करना शामिल हैं, जिससे आपातकाल के दुरुपयोग की रोकथाम होती है। ये प्रावधान लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, विधि सम्मत शासन सुनिश्चित करते हैं और संकट के दौरान वैयक्तिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये केंद्र सरकार की सांविधानिक और लोकतंत्रात्मक ढाँचे के अंतर्गत जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. https://www-drishtiias.com/hindi/daily&updates/daily&news&analysis/1975&emergency&and&its&impact
2. https://unacademy&comtranslate goog/content/clat/study&material/legal&reasoning/effects&and&consequences&of&emergency
3. https://testbook.com/hi/editorials/national&emergency&reasons&impacts&1975&emergency&india
4. https://www&adda247.com translate-goog/school/emergency&in&india
5. खन्ना,एच.आर., ' मेकिंग ऑफ इंडिया कांस्टीट्यूशन' लखनऊ, ईस्टर्न बुक कंपनी, 1981
6. ठाकुर,जनार्दन , श इंदिरा गांधी एंड हर पावर गेम श विकास पब्लिकेशंस , दिल्ली,1979
7. सिंह, खुशवंत, " इंदिरा गांधी रिटर्नस " विजन बुक्स ,नई दिल्ली,1979
8. जायेकर, पुपुल, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी ' नई दिल्ली, पेनजीयन बुक्स, 1997
9. फडिया बी.एल. "द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया " आगरा साहित्य भवन पब्लिकेशन,2008
10. चन्द्र, विपन,श्लोकतंत्र आपातकाल और जयप्रकाश नारायण' नई दिल्ली, अनामिका पब्लिकसर ,2007
11. शर्मा, बृजकिशोर, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली,प्रेन्टिस हॉल प्रा. लि., 2007
12. खान,ए.आर. तथा सिद्दकी के.एच. 'द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली, बी.पी.जी.बुक्स, 2004
13. यूनिवर्सल लॉ पब्लिसिंग, "द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया" दिल्ली, यूनिवर्सल लॉ पब्लिसिंग, 2002
14. सहारे, एच.के., "द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया" नई दिल्ली, ईस्टर लॉ हाउस, 2002
15. सेन, सरवानी, " द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया" लखनऊ ईस्टन बुक कंपनी, 2008
16. इकोनॉमिक टाइम्स
17. द हिंदू
18. दैनिक भास्कर

❖◆❖